

दिनांक 3.07.2019 को मु.न. 11 कि.न. 1 व 2 सालम कुल 0.506 है. आराजी जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा कीमतन खरीदशुदा है एव विवादित आराजी का खाता दमन सिंह के नाम से अलग कायम था एव किला विशेष आराजी का बेचान हुआ है. प्रार्थी गुरचरण सिंह द्वारा बेचानशुदा किला विशेष आराजी के सम्बध में अस्थायी निषेधाज्ञा एव घोषणा का अनूतोष चाहा गया है जो कि जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा से हस्तांतरित हो चुकी है एव प्रार्थी प्रगट सिंह सदभाविक क्रेता है एव बेचानशुदा आराजी के सम्बध में किसी भी प्रकार के आदेश से प्रभावित व्यक्ति है एवं प्रार्थी प्रगट सिंह को विचाराधीन आराजी के सम्बध में प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा की सुनवाई में सुना जाना आवश्यक है। प्रार्थी प्रगट सिंह उक्त आराजी में प्रभावित एव रूचिकर पक्षकार है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थी आदेश 1 नियम 10 (2) सी पी सी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी आदेश 1 नियम 10(2) सी पी सी स्वीकार किया जाकर प्रार्थी प्रगट सिंह को बतौर अप्रार्थी संख्या 3 पक्षकार बनाये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थी का नाम लाल स्याही से अंकन किया जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 03.12.19 को पेश हो।

*(हवाई सिंह यादव)*  
उपखण्ड अधिकारी  
सादुलशहर

3.12.19

पत्रावली पेश हुई। अप्रपक्ष उपा/ वकील वार्ड ने मय वादी उपा/ होकर निवेदन किया कि इन्फे व पार्कना पत्र को आगे नहीं चलाना चाहते हैं आर प्रार्थना पत्र नोट पेश में खासि किना नाम की पत्रावली फाइल नम्बर 1/ होकर दाखिल दफ्तर हो।

*(राजेश्वर)*  
उपखण्ड अधिकारी  
सादुलशहर

*उपखण्ड अधिकारी*  
*सादुलशहर*  
*3/12/19*

